

THE UNITED PROVINCES RAKSHAK DAL, ACT, 1948¹**[U.P. ACT NO. 38 OF 1948]**

Adapted and modified by the Adaptation of Laws order, 1950

[Passed by the U.P. Legislative Assembly on October 18 1948, and by the U.P. Legislative Council on November 5, 1948]

[Received the assent of the Governor of December 4, 1948, under section 75 of the Government of India Act, 1935, as adapted by the India (Provisional constitution) Order,

AN**ACT***to provide for the constitution of the United provinces Rakshak Dal*

Preamble--- Whereas is expedient to provide for the constitution of a force known as the United Provinces Rakshak Dal for the preservation of public peace, training of men

in the use of arms, to inculcate self-help and discipline and the protection of the life of the

community and property within the United provinces;

It is hereby enacted as follows:

Short title,
extent and
commencement

1- (1) This Act may be called the United Provinces Rakshak Dal Act, 1948.

(2) It [extends]⁴ to the whole of [Uttar Pradesh]³.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Administrative Commandant" "Gazetted Officer", "Honorary officer of equivalent rank" and "Non-gazetted officer means, persons appointed to such offices as may be prescribed;

(b) "Member of the Rakshak Dal "means a person who is enrolled as such and includes an officer appointed under the provisions of this Act;

1-For S.O.R. see Gaz. Extra. date October 8, 1948, p.1.

2-See Gaz. 1948, pt, VII/A, pp. 70-72.

3-Subs by the A.O. 1950 for (the United Provinces).

4-This Act has been extends to the areas mentioned in column 1 of this table under the Act or order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification, if any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area.

1	2	3	4
Area	Act or Order under which	Notification, if any,	Date from
	which		
	extended	under which enforced	enforced
1	2	3	4
1. Rampur District 1949	Rampur(Application of Laws)Act, 1950	No.3679/XVII	Dec.30,
2. Banaras Distrit 1949	Banaras (application of Law) Order, 1949.	No. 3262(1)/XVII, d. Nov. 30,1949	Nov. 30,
3. Tehri-Garhwal 1949	Tehri Garhwal (Application of laws) Order, 1949,	3262(2)/XVII,d. November 30, 1949	Nov. 30,

[The United Provinces Rakshak Dal Act, 1948]
9]

[Section 3-

- (c) [State Government]² means the Government of the [Uttar Pradesh]¹.
- (d) "Prescribed" means prescribed by rules or regulations framed under this Act.
- Constitution of Rakshak 3- There shall be raised and maintained a force to be designated "the United U.P. Provinces Rakshak Dal" hereinafter called the Rakshak Dal and it shall be Dal constituted in such manner as may be prescribed.
- Enrolment 4- Subject to such conditions as may be prescribed, any person may be enrolled as a member of the Rakshak Dal and his conditions of service shall be such as may be prescribed.
- Functions 5- A member of the Rakshak Dal when called upon to do so by the prescribed authority in relation to the preservation of public peace and for the protection of inhabitants and the security of property in any area within [Uttar Pradesh]¹ as such prescribed authority may direct.
- Declaration 6- Every member of the Rakshak Dal, shall on enrolment, make a declaration in the form given in the Schedule.
- Powers protection and called control etc. conditions and not as a 1861 7- (1) For the enforcement of the provision of this Act or any rule or regulation made thereunder every member of the Rakshak Dal, shall, when on duty or for duty be deemed to be a police officer, and subject to any terms, restrictions as may be prescribed, to have and be subject to, in so far as it is inconsistent with this Act, all the powers, privileges, liabilities and protections police officer duly appointed has or is subject to by virtue of the Police Act, (save section 29 thereof) or of any other law for the time being in force.
- (2) No prosecution shall be instituted against a member of the Rakshak Dal in respect of anything done or purported to be done by him in discharge of his functions as such member except with the previous sanction of the authority prescribed in that behalf.
- (3) The superintendence of the Force in an area shall vest in such officer or officers as may be appointed by the [State Government]².
- Period of 8- Every-member of the Rakshak Dal shall be required to serve the [State service and Government]² for such period as may be prescribed. He shall, thereafter, be called discharge up for duty at any time during a further period as may be prescribed. After the expiry of such further period the member shall be deemed to have been discharged from the Rakshak Dal.
- Offences 9- Any member of the Rakshak Dal, who----
- (a) fails to report himself when called up for duty under section 5; or

1.Substituted by the A. O. 1950 for (the United Provinces).

2.Subs. by the A, O. 1950 for (Provincial Government).

[The United Provinces Rakshak Dal Act, 1948]
12]

[Section 10-

(b)without sufficient excuse neglects or refuses to obey the orders of his superior officer or fails to discharge his functions as a member of the Rakshak Dal while on duty; or

(c)deserts his duty; or

(d)contravenes any provision of the Rules and Regulations made under this Act,

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

Non-judicial disposal of offences 10- When a member of the Rakshak Dal other than an officer is charged with an offence punishable under section 9, the Administrative Commandant or, if so minor offences authorized in writing by the Administrative Commandant in that behalf, any of the Gazetted officer or any honorary officer of equivalent rank under whom the members of member of the Dal is for the time being serving, may direct that the charge the Dal

other than officers

shall be dealt with without formal trial and thereupon the officer, commanding the detachment, may award to such member any one or more of the following punishments, namely:-

(a)confinement in such place as may be considered suitable for a period not exceeding seven days,

(b)punishment drill, extra work, fatigue or other duty, not exceeding thirty days in duration, with or without confinement to quarters;

(c)forfeiture of emoluments for a period not exceeding one month.

Non-judicial disposal of offences 11- When a member of the Rakshak Dal, who is a non-gazetted officer, is charged with an offence punishable under section 9, the Administrative Commandant or, if so authorized in writing by the Administrative Commandant in that behalf any gazetted officer or any honorary officer of the Dal other equivalent rank under whom the member of the Dal is for the time being than officers and Rakshak saving may without formal trial award such member any one or more of the (non-gazetted following punishments, namely: - officers)

(a) reduction to a lower grade or a lower class or to the ranks:

(b) forfeiture of pay and allowances for a period not exceeding one month;

(c) punishment drill, extra work or other duty not exceeding thirty days in duration;

(d) reprimand or severe reprimand.

Non-judicial disposal of offences 12- When a gazetted officer or an honorary officer of an equivalent rank is charged with an offence punishable under section 9, the Administrative Commandant, may, without formal trial, reprimand or severely reprimand such of gazetted officer or may refer the matter to the [State Government]¹ for orders. officers

----- 1- Substituted by the A. O, 1950 for (the Provincial Government).

[The United Provinces Rakshak Dal Act, 1948]
13-18]

[Section

Trial of offences 13- An offence punishable under section 9, shall, if the charge is not disposed of under sections 10, 11 or 12 be tried by a Magistrate of the first class having jurisdiction.

Power of state Government to award a punishment 14- Without prejudice to any other punishment which the [State Government]¹ may impose under any other law or rule, for the time being in force, the [State Government]¹ may on a reference under section 12 or on its on motion award

gazetted officer or an honorary officer of an equivalent rank all or any of the following punishments; namely :-

(a) reprimand or severe reprimand;

(b) deduction in the case of paid officer, from pay to defray expenditure or recoup loss incurred as a consequence of misconduct by him;

(c) forfeiture of service ; and

(d) reduction of rank.

Custody during investigation prescribed	15-	Any member of the Dal charged with an offence punishable under this Act may be taken into and kept in custody in the prescribed manner by the authority pending investigation.
Proof of enrolment	16-	In any proceeding before a court the fact that a person is enrolled under this Act may be approved by the production of a certificate signed by the Administrative Commandant or any gazetted officer or any honorary officer of equivalent rank as may be prescribed.
Permission by employer to or join duty date of	17-	(1) Except as may be prescribed, every employer, his agent or manager shall permit a member of the Rakshak Dal, who is for the time being employed by under him, to join his duty as such and notwithstanding anything in any law or agreement between him and such member in force, the period between the the member joining his duty and is release therefrom shall, subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed, be deemed to be period spent in such employment. (2) No employer, his agent or manager, shall dismiss, remove or suspend any employee or take any other action which may prejudice such employee by reason of his being a member of the Rakshak Dal. (3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or (2) shall be punished with fine which may extend to two hundred rupees.
Payment of compensation allowances and to employer other than State Governm ent	18-	Whenever any member of the Rakshak Dal who is employed under any person other than the [State Government] ¹ is called up for duty, the [State and Government] ¹ shall pay such compensation and allowances to the employer the member as may be prescribed.

----- 1- Substituted by the A. 0, 1950 for (the Provl. Govt.).

[The United Provinces Rakshak Dal Act, 1948]
9]

[Section 3-

Repeal of the United Provinces Home Guards Act, 1947 (Act 1 of 1947) of U. P. Act 1 of 1904	19-	The United Provinces Home Guards Act, 1947 as amended by the United Provinces Home Guards (Amendment) Ordinance, 1948, is hereby repealed: Provided that without prejudice to the general application of section 6 and 24 of the United Provinces General Clauses Act, 1904, with regard to the effect repeals --
---	-----	--

(a) any form, order, rule or direction made, issued or given under the said Act shall continue in force as if it had been prescribed, made, issued or given under this Act and may be repealed, revoked, varied or amended accordingly;

(b) any officer or person appointed to act enrolled under or by virtue of the said Act shall continue and be deemed to have been appointed under or by virtue of this Act;

(c) any statement executed by any member of the Prantiya Rakshak Dal in accordance with section 7 of the said Act in force at the commencement of this Act shall be so read and construed as if it has been executed under the corresponding provisions of this Act.

Rule making
power

20- (1) The [State Government]¹ may, after previous publication in the official Gazette, make rules and regulations to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules and regulations may-----

(a) prescribe the manner in which and the conditions subject to which any person member enrolled or appointed as a member of the Rakshak Dal;

(b) prescribe the authorities under which and the conditions subject to which any person enrolled or appointed as a member of the Rakshak Dal may serve;

(c) prescribe the classification of officers whether honorary or paid, into gazetted and non-gazetted and non-gazetted categories;

(d) prescribe the duration and manner of training of such member and the obligations to which such member shall be liable when undergoing such training and generally for the maintenance of discipline; and

(e) provide for any other matter which, under this Act is to be or may be prescribed.

----- 1. Substituted by A. O. 1950 for (Provincial Government).

[The United Provinces Rakshak Dal Act, 1948]

[Schedule]

SCHEDULE

I.....
 Son of
 Resident of
 do hereby solemnly
 declare and affirm that, as a member of the Uttar Pradesh Rakshak Dal to
 which I have volunteered, after fully understanding the responsibilities and
 duties which its membership imposes upon me, I will honestly and faithfully
 serve for such period or periods and at such place or places as may be
 prescribed from time to time, and that I will ever be ready to protect even at
 the peril of my life, the honour, integrity, the constitution as by law
 established and the flag of my motherland- India.

Signature

Address

संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट, 1948¹

[संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 38, 1948]

{संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने दिनांक 18 अक्टूबर, 1948 ई० तथा
 लेजिस्लेटिव कौंसिल ने दिनांक 5 नवम्बर, 1948 की बैठक में स्वीकृत किया।}

{भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश सन् 1947 ई० द्वारा अवस्थानुकूल परिवर्तित
 भारत-शासन विधान सन् 1935 ई० की धारा 75 के अन्तर्गत गवर्नर ने दिनांक 4 दिसम्बर, 1948
 को स्वीकृति प्रदान की तथा संयुक्त प्रान्तीय शासकीय गजट में दिनांक 11 दिसम्बर, 1948 को
 प्रकाशित² हुआ।}

संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल के निर्माण की व्यवस्था करने के लिये

एक

ऐक्ट

क्योंकि यह उचित और आवश्यक है कि सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने, लोगों को
 स्वावलम्बी बनाने और उसमें अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिये, हथियार चलाने की
 शिक्षा देने और संयुक्त प्रांत में सामाजिक जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये संयुक्त
 रक्षक दल नामक एक दल के निर्माण की व्यवस्था की जाये,

प्रस्तावना

इसलिये नीचे लिखा हुआ विधान बनाया जाता है :—

1— (1) इस ऐक्ट का नाम संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट, 1948 ई० होगा
 और

संक्षिप्त नाम, विस्तार

प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण {संयुक्त प्रांत}³ में {लागू}⁴ होगा ।

(3) यह ऐक्ट तुरन्त लागू होगा ।

2— इस ऐक्ट में, जब तक कि कोई बात इसके विषय या प्रसंग के विपरीत न हो—

परिभाषाएँ

(क) “ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट”, “गजटेड अफसर”, “समान पद के आनरेरी (अवेतनिक) अफसर” और “नान गजटेड अफसर” से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जिन्हें ऐसे पदों पर, जो निर्धारित किये जाये, नियुक्त किया जाये;

(ख) “रक्षक दल के सदस्य” से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो उस रूप में भर्ती किया गया हो और इसमें कोई धारा अफसर भी सम्मिलित है, जो इस ऐक्ट के आदेशों के अनुसार नियुक्त किया गया हो;

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 8 अक्टूबर, 1948 का सरकारी असाधारण गजट पृष्ठ 1, देखिये।
2. गजट 1948 खण्ड सात/ए, पृष्ठ 70-72 देखिये।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दो यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।
4. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है, प्रवृत्त किया गया है।

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश, जिनके अन्तर्गत प्रसार किया गया	विज्ञप्ति, यदि कोई हो, जिसके अन्तर्गत प्रभावी किया गया	तिथि
1	2	3	4
1- जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर 1950	सं० 3679/17	30 दिसम्बर, 1949
2- जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर 1950	सं० 32 2 (1)/17, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30 नवम्बर, 1949
3- जिला टिहरी गढ़वाल	टिहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर 1949	सं० 32 2 (2)/17, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30 नवम्बर, 1949

[संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट, 1948]

[धारा 3-9]

(ग) “[राज्य सरकार]₂” से तात्पर्य [उत्तर प्रदेश]₁ सरकार से है;

(घ) “निर्धारित” से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनाये गये नियमों तथा अधिनियमों (रेगुलेशन्स) द्वारा निर्धारित किये हुये से है।

3— एक ऐसा दल निर्माण किया जायेगा और रखा जायेगा, जिसका नाम “संयुक्त रक्षक दल” होगा, जिसे आगे चलकर रक्षक दल कहा गया है, और इसका संगठन उस विधि से किया जायेगा, जो निर्धारित की जाये।

4— उन प्रतिबंधों के साथ जो निर्धारित किये जायें, किसी भी व्यक्ति को रक्षक दल के सदस्य के रूप में भर्ती किया जा सकता है और उसकी सेवा की शर्तें वह होंगी, जो निर्धारित की जाये।

5— निर्धारित अधिकारी के आदेश पर रक्षक दल के सदस्य को सार्वजनिक शान्ति

6— रक्षक दल के प्रत्येक सदस्य को भर्ती हो जाने पर, ऐसी प्रतिज्ञा करनी होगी, जो परिशिष्ट के रूप-पत्र (फार्म) में दी हुई है।

7— (1) इस ऐक्ट के आदेशों या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या

अधिनियम (रेगुलेशन) को प्रयोग में लाने के लिये रक्षक दल के प्रत्येक सदस्य के संबंध में जब वह कर्तव्य पालन कर रहा (ड्यूटी) हो या कर्तव्य पालन करने (ड्यूटी के लिये) बुलाया जाये, यह समझा जायेगा कि वह पुलिस अफसर है और ऐसी शर्तें और प्रतिबंधों के साथ जो निर्धारित किये जाये, उस पर वह सब अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व और संरक्षण प्राप्त होंगे और उनके अधीन वह रहेगा, जो पुलिस ऐक्ट, 1861 ई० (उसकी धारा 29 के अतिरिक्त) या किसी अन्य विधान के अधीन जो उस समय लागू हो, नियमानुसार नियुक्त पुलिस अफसर को प्राप्त हों तो जिनके अधीन वह हो, परन्तु वह शर्तें और प्रतिबंध इस ऐक्ट के आदेशों के प्रतिकूल न होंगी।

(2) रक्षक दल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के विषय में, जो उसने सदस्य के रूप में किया गया हो या जिसके बारे में यह समझा जाये कि उसने इस रूप में किया हो, उस अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना जिसे इस सम्बन्ध में निर्धारित किया गया हो, कोई अभियोग नहीं चलाया जायेगा।

(3) किसी क्षेत्र में दल की देखभाल (सुपरिटेण्डेंट) का अधिकार ऐसे अफसर या अफसरों को प्राप्त होगा, जिन्हें [राज्य सरकार]² नियुक्त करें ।

8— रक्षक दल के प्रत्येक सदस्य को [राज्य सरकार]² की ऐसी अवधि तक सेवा करनी होगी जो निर्धारित की जाये। इसके बाद उसे कर्तव्य पालन करने (ड्यूटी) के लिये उस अतिरिक्त अवधि में, जो निर्धारित की जाये, किसी भी समय बुलाया जा सकेगा। ऐसी अतिरिक्त अवधि के समाप्त होने पर उक्त सदस्य (मेम्बर) के संबंध में यह समझा जायेगा कि यह रक्षक दल से अलग कर दिया गया है ।

9— रक्षक के दल के किसी ऐसे सदस्य को तीन मास का कारावास अथवा दो सौ रुपये तक जुर्माने का या दोनों प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है, जो—

(क) धारा 5 के अधीन कर्तव्य पालन करने के लिये (ड्यूटी पर) बुलाये जाने पर उपस्थित न हो, या

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दि युनाइटेड प्राविन्सिज) के लिये प्रतिस्थापित । 2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्सियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित ।

[संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट, 1948]

[धारा 10—12]

(ख) बिना पर्याप्त कारण के अपने से बड़े अफसर की आज्ञा की उपेक्षा या अवहेलना करता है या कर्तव्य पालन (ड्यूटी) के समय रक्षक दल के सदस्य के कर्तव्यों का पालन न करें, या

(ग) कर्तव्य (ड्यूटी) का त्याग करता है, या

(घ) इस ऐक्ट के अधीन बने हुये नियमों तथा अधिनियमों (रेगुलेशनों) के किसी आदेश का उल्लंघन करता है ।

10— जब रक्षक दल के किसी सदस्य पर, जो अफसर न हो, ऐसे अपराध का जो

दल के सदस्यों के

अभियोग लगाया गया हो, जो धारा 9 के अधीन दण्डनीय हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट या छोटे-छोटे

अफसर न हो,

इस संबंध में उसके द्वारा लिखित अधिकार प्राप्त कोई गजटेड अफसर या कोई समान पद का अदालती

अपराधों पर गैर कार्यवाही

ऐसा आनरेरी अफसर, जिसके अधीन दल का सदस्य उस समय काम कर रहा हो, यह आदेश दे सकता है कि उक्त अभियोग पर विधिपूर्वक मुकदमा चलाये बिना ही कार्यवाही की जाये, और ऐसा आदेश दिये जाने पर वह अफसर जिसके सेनानायकत्व (कमांड) में दल की वह टुकड़ी हो, ऐसे सदस्य को नीचे लिखे हुये एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात्—

(क) ऐसे स्थान में जो उपयुक्त समझा जाये, ऐसी अवधि के लिये रोक रखना, जो सात दिन से अधिक न हो ;

(ख) क्वार्टरों में रोक या बिना रोक के साथ दण्ड के रूप में ड्रिल, अतिरिक्त कार्य, परिश्रम (फेटिग) या अन्य कर्तव्य पालन (ड्यूटी) कराना, जो तीस दिन से अधिक न कराया जायेगा ;

(ग) ऐसी अवधि के, जो एक महीने से अधिक न हो, वेतन इत्यादि जब्त कर लेना ।

11— जब रक्षक दल के किसी सदस्य पर, जो नान-गजटेड अफसर हो, ऐसे के

नॉन गजटेड अफसर

अपराध का अभियोग लगाया जाये, तो धारा 9 के अनुसार दण्डनीय हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर गैर

छोटे छोटे अपराधों

कमान्डेन्ट या इस संबंध में उसके द्वारा लिखित अधिकार प्राप्त कोई गजटेड अफसर या कोई समान पद का ऐसा आनरेरी अफसर, जिसके अधीन दल का सदस्य उस समय काम कर रहा हो, ऐसे सदस्य को विधिपूर्वक मुकदमा चलाये बिना ही नीचे लिखे हुये एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात्—

अदालती कार्यवाही

(क) किसी नीचे ग्रेड (वेतनक्रम) या नीचे के क्लास श्रेणी या रैंक्स (सामान्य कोटि) में उतार देना ;

(ख) ऐसी अवधि के लिये, जो एक मास से अधिक न हो, वेतन और भत्तें जब्त कर लेना ;

(ग) दण्ड के रूप में ड्रिल, अतिरिक्त कार्य या कर्तव्य पालन (ड्यूटी) कराना, जो तीस दिन से अधिक के लिए न हो ;

(घ) भर्त्सना (रेप्रीमाण्ड) या कड़ी भर्त्सना (सीवियर रेप्रीमाण्ड) ।

12— जब किसी गजटेड अफसर या समान पद के लिये किसी आनरेरी अफसर पर छोटे

गजटेड अफसरों के

ऐसा अभियोग लगाया जाता हो, जो धारा 9 के अनुसार दण्डनीय हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव गैर

छोटे अपराधों पर

कमान्डेन्ट विधिपूर्वक मुकदमा चलाये बिना ही ऐसे अफसर की भर्त्सना या कड़ी भर्त्सना कर सकता है या उस मामले को [राज्य सरकार]¹ के पास आदेश के लिये भेज सकता है ।

अदालती कार्यवाही

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित ।

[संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट, 1948]

[धारा 13—18]

13— यदि अपराध धारा 9 अधीन दण्डनीय हो और उसके अभियोग की धारा 10, 11

अपराधों पर विचार

या 12 के अनुसार नहीं निबटा दिया गया है, तो उसके मुकदमे की सुनवाई अधिकार प्राप्त प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करेगा ।

14— किसी ऐसे अन्य दण्ड पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, जो [राज्य सरकार]¹ किसी दण्ड अन्य कानून या नियम के अधीन दे सकती है, जो उस समय लागू हो, [राज्य सरकार]¹ धारा 12 के अधीन व्यवस्था प्रार्थना (रेफरेंस) किये जाने पर स्वयं ही किसी गजटेड अफसर या समान पद के किसी आनरेरी अफसर को नीचे लिखे हुये सब दण्ड या उनमें से कोई दण्ड दे सकती है; अर्थात् —

[राज्य सरकार]¹ के देने के अधिकार

(क) भर्त्सना या कड़ी भर्त्सना ;

(ख) वैतनिक पदाधिकारी की दशा में उसके दुराचरण के परिणामस्वरूप, जो व्यय या हानि हुई हो उसकी पूर्ति के लिये उसके वेतन में से कटौती करना ;

(ग) सेवा-समय की जब्ती (फार्फीचर एण्ड सर्विस); और

(घ) रैंक में कमी आना ।

15— दल का कोई सदस्य जिस पर इस ऐक्ट के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कारानिरोध

जांच के समय

लगाया गया हो, जांच के समय निर्धारित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकार से कारानिरोध (हिरासत) में लिया और रखा जा सकता है ।

(हिरासत) में रखना

16— किसी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किसी कार्यवाही में यह बात कि अमुक व्यक्ति इस ऐक्ट के अधीन भर्ती किया गया है, कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके सिद्ध की जा सकती है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट या किसी गजटेड आफिसर या समान पद के किसी आनरेरी अफसर ने हस्ताक्षर किये हो, जैसा भी निर्धारित किया जाये ।

भर्ती का प्रमाण

17— निर्धारित दशा के अतिरिक्त प्रत्येक नियोजक (एम्प्लायर), उसके एजेन्ट तथा आदि

नियोजक, एजेन्ट

प्रबंधक (मैनेजर) के लिये आवश्यक होगा कि रक्षक दल के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस सदस्य

रक्षक द्वारा दल के

समय उसके द्वारा या उसके अधीन काम में नियुक्त हो, यह अनुमति दे कि वह उस पद पर अपना कार्यभार संभालें और किसी विधान या उस नियोजक और सदस्य के बीच लागू किसी इकरारनामे में किसी विपरीत बात के रहते हुये भी उस तारीख से, जब उक्त सदस्य ने अपना कार्यभार संभाला हो, उससे उसके मुक्त होने की तारीख तक का समय ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन, जो निर्धारित किये जाये, उस नियोजक के कार्य में व्यतीत हुआ समझा जायेगा ।

को अनुमति ।

(2) कोई नियोजक उसका एजेन्ट या प्रबंधक न तो किसी कर्मचारी को पदच्युत (डिसमिस) करेगा, न पद से हटायेगा (रिसिव करेगा), न मुअत्तल करेगा और न कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा, जो ऐसे कर्मचारी के लिये उसके रक्षक दल के सदस्य होने के कारण हानिकारक हो ।

(3) जो कोई उपधारा (1) या (2) के उद्देश्यों का उल्लंघन करेगा, उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है ।

18— जब कभी रक्षक दल का कोई सदस्य, जो [राज्य सरकार]¹ के अतिरिक्त किसी दल

नियोजक तथा रक्षक

व्यक्ति के अधीन काम करने के लिये नियुक्त किया गया हो, कर्तव्य पालन (ड्यूटी) करने के सरकार द्वारा

के सदस्य को

लिये बुलाया जाये तो [राज्य सरकार]¹ के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नियोजक (इम्प्लायर) और सदस्य को ऐसी क्षतिपूर्ति और भत्ते दे, जो निर्धारित किये जायं ।

भत्ते देना ।

1. एडेप्शन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित ।

{संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट, 1948}

{धारा 19-20}

19— यू0 पी0 होमगार्ड्स ऐक्ट, 1947 ई0 जैसा कि यू0 पी0 होमगार्ड्स (अमेन्डमेंट) ऐक्ट,

यू0 पी0 होमगार्ड्स

आर्डिनेन्स सन 1948 ई0 से संशोधित किया गया है, इस ऐक्ट से रद्द किया जाता है : किया

1947 ई0 का रद्द जाना (रिपील) ऐक्ट,

1947 किन्तु प्रतिबंध यह है कि रद्द करने (रिपील) के प्रभाव के संबंध में यूनाइटेड प्राविसेज 1904

यू0पी0 ऐक्ट सं0 1,

जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 ई0 की धारा 6 और 24 के सामान्य रूप से लागू होने पर प्रभाव डाले बिना :-

ई0

(क) कोई रूप-पत्र (फार्म), आदेश, नियम या आज्ञा जो उक्त ऐक्ट के अधीन बनाया गया हो, जारी किया गया हो या दी गयी हो, उसी प्रकार लागू रहेगा या रहेगी, मानो वह इस ऐक्ट के अधीन निर्धारित किया गया था, जारी किया गया था या दी गई थी वह उसी प्रकार रद्द (रिपील), खण्डित, परिवर्तित या संशोधित किया जा सकेगा या की जा सकेगी ;

(ख) कोई पदाधिकारी या व्यक्ति, जो उक्त ऐक्ट के अधीन या उसके अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त या भर्ती किया गया हो, उसी प्रकार काम करता रहेगा और उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस ऐक्ट के अधीन या अन्तर्गत नियुक्त हुआ है ;

(ग) किसी प्रतिज्ञा पत्र (स्टेटमेंट) के विषय में, जो प्रान्तीय रक्षक दल के किसी सदस्य ने उक्त ऐक्ट की धारा 7 के अधीन दिया हो और जो इस ऐक्ट के प्रारम्भ के समय लागू हो, यह समझा जायेगा कि मानो वह इस ऐक्ट के संबंधित आदेशों के अधीन दिया गया है ।

20— [राज्य सरकार]¹ सरकारी गजट में पहले से प्रकाशित करके इस ऐक्ट के अधिकार

नियम बनाने का

प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम और विनियम (रेगुलेशन) बना सकती है ।

(2) विशेष रूप से और उपर्युक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों और विनियमों (रेगुलेशनों) द्वारा—

(क) वह ढंग निर्धारित किया जाता है जिससे, और वह प्रतिबंध निश्चित किये जा सकते हैं, जिनके अन्तर्गत कोई व्यक्ति रक्षक बल के सदस्य के रूप में भर्ती या नियुक्त किया जा सकता है ;

(ख) वह अधिकारी निर्धारित किये जा सकते हैं, जिनके अधीन और वह प्रतिबंध निर्धारित किये जा सकते हैं जिनके अन्तर्गत, कोई व्यक्ति, जो रक्षक दल के सदस्य के रूप में भर्ती या नियुक्त किया गया हो, काम करेगा ;

(ग) अवैतनिक या वैतनिक पदाधिकारियों का गजटेड और नान गजटेड श्रेणियों में वर्गीकरण निर्धारित किया जा सकता है ;

(घ) ऐसे सदस्य की ट्रेनिंग का समय और ढंग निर्धारित किया जा सकता है और वह दायित्व निर्धारित किये जा सकते हैं जिनके अधीन वह सदस्य उस समय रहेगा जब ऐसी ट्रेनिंग ले रहा हो, और साधारणतया अनुशासन स्थापित रखने के लिये भी नियम बनाये जा सकते हैं ;

(ङ) किसी अन्य बात के लिये व्यवस्था की जा सकती है, जो इस ऐक्ट के अधीन निर्धारित की जाने वाली या निर्धारित की जा सकती हो ।

1. एडेप्शन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित ।

{संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट, 1948}

{परिशिष्ट}

परिशिष्ट

मैं.....

.....का पुत्र.....का
 निवासी शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल के सदस्य के रूप में, जिसका सदस्य मैं अपनी इच्छा से उन दायित्वों तथा कर्तव्यों को पूर्णरूप से समझने के पश्चात बना हूँ, जिन्हें इस दल की सदस्यता मुझ पर आरोपित करती है, ऐसी अवधि या अवधियों तक उस स्थान पर या उन स्थानों पर, जो समय-समय पर निर्धारित किये जायें, सत्यनिष्ठा के साथ काम करूँगा और यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि भारतवर्ष (इण्डिया) के सम्मान, अखण्डता, शासन विधान जैसा कि संवैध स्थापित है तथा उसकी पताका की रक्षा अपने जीवन को भी संकट में डालकर करने के निमित्त सर्वदा उद्यत रहूँगा।

हस्ताक्षर.....

पता.....

.....

.....

.....

.....

